मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 1-1/1/वेआप्र/99

प्रति, भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 1999
19.4.1999

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना ।

::=::

राज्य शासन ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि राज्य शासन के प्रत्येक नियमित एवं शासकीय कर्मचारी/अधिकारी को उसके पूरे सेवाकाल में, प्रवेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त कम से कम दो उच्चतर वेतनमानों का लाभ दिया जाय ।

2/ राज्य शासन की सेवा में नियुक्त ऐसे समस्त कर्मचारी जो संबंधित सेवा भरती नियमों के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त किये गये हों तथा उसके पश्चात् एक ही वेतनमान (तत्स्थानी वेतनमान सहित) में 12 वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि से, निरन्तर कार्यरत हों, तो उन्हें निम्नांकित शर्तों के अधीन, संलग्न सूची में दर्शाये गये अनुसार उच्च वेतनमान में क्रमोन्नत किया जा सकता है ।

(क) यदि उक्त शासकीय कर्मी की नियमित सेवा में नियुक्ति पश्चात् की सेवा अवधि 12 वर्ष से अधिक परंतु 24 वर्ष से कम है, तथा उसे सेवा में भरती के समय लागू प्रारंभिक वेतनमान अथवा उसके तत्स्थानी वेतनमान के अतिरिक्त कोई अन्य वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेड करके अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(एस0के0शर्मा) ... पेज 2 पर

§ख§ यदि उक्त शासकीय कर्मी की नियमित सेवा में नियुक्ति के पश्चात की सेवा अवधि 24 वर्ष से अधिक है, तथा उसे सेवा में प्रवेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त एक से अधिक उच्चतर वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेडेशन अथवा अन्य किसी माध्यम से न मिला हो ।

§ग§ इस योजना के अंतर्गत क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करने के लिए उक्त कर्मचारी/अधिकारी के विगत 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदनों का परीक्षण उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार पदोन्नति के प्रकरणों में किया जाता है, तथा उपयुक्त पाये जाने पर ही क्रमोन्नति का लाभ दिया जायेगा ।

§घ§ क्रमोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण क्रमोन्नति वेतनमान में अगली स्टेज पर निर्धारित किया जावेगा ।

"परंतु यदि भविष्य में इसी वेतनमान में पदोन्नति की जातीहै तो उसके उपरांत वेतन निर्धारण ऐसा मानते हुए किया जावेगा जैसे कि संबंधित कर्मचारी पूर्व के वेतनमान में ही चला आ रहा हो तथा उसे क्रमोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिला हो।"

§च§ इस क्रमोन्नति के फलस्वरूप संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

3/- यह आदेश, इस संबंध में संबंधित विभागों के भरती नियमों में तत्संबंधी संशोधन होने के दिनांक से लागू होंगे ।

4/- उपरोक्त कंडिका-2 में दर्शाये अनुसार क्रमोन्नत पश्चात् प्राप्त होने वाला वेतनमान, संलग्न सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शाए नए वर्तमान वेतनमान से संबंधित कॉलम नं. 3 का वेतनमान अथवा उसका तत्स्थानी वेतनमान, जो भी लागू हो, होगा ।

5/- यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 734/एस/110/99/मेओ/सी/चार, दिनांक 19.4.1999 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(signature)

§एम0के0वर्मा§

क्रमोन्नत वेतनमान के लिये वेतनमानों की सूची

वेतनमान	क्रमोन्नति पर देय वेतनमान
2550-55-2660-60-3200	2610-60-3150-65-3540
2610-60-3150-65-3540	2750-70-3800-75-4400
2750-70-3800-75-4400	3050-75-3950-80-4590
3050-75-3950-80-4590	3500-80-4700-100-5200
3500-80-4700-100-5200	4000-100-6000
4000-100-6000	4500-125-7000
4500-125-7000	5000-150-8000
5000-150-8000	5500-175-9000
5500-175-9000	6500-200-10500
6500-200-10500	7500-250-12000
7500-250-12000	8000-275-13500
8000-275-13500	10000-325-15200
10000-325-15200	10650-325-15850

यह वेतनमान भारत सरकार के वेतनमानोंमें शामिल है, परन्तु राज्य शासन के वेतनमानों में इन्हें शामिल नहीं किया गया है । अतः क्रमोन्नति अंतर्गत यह वेतनमान स्वीकृत होगा ।

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 1-1/1/वेआप्र/99

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 1999
12 अक्टूबर, 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना।
संदर्भ:- सा0प्र0वि0 का ज्ञाप क्र. एफ. 1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 17.3.99/19.4.99.

::=::

राज्य शासन ने शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 17.3.99/19.4.99 के द्वारा लागू की थी। इन निर्देशों की कंडिका-3 में यह शर्त थी कि ये आदेश, इस संबंध में संबंधित विभागों के भरती नियमों में तत्संबंधी संशोधन होने के दिनांक से लागू होंगे।

2/- राज्य शासन ने पूर्ण विचारोपरांत उक्त शर्त को विलोपित करने का निर्णय लिया है। ये आदेश दिनांक 19.4.99 से ही प्रभावशील होंगे।

3/- यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 1878/3279/99/सी/चार, दिनांक 12.10.99 द्वारा महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम0के0वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन

§3§

पृ0क्रमांक एफ. 1-1/1/वेआप्र/99 भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 1999

19.4.1999

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर.
सचिव, लोकायुक्त, म0प्र0 भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, म0प्र0 इन्दौर.
महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल.
सचिव, वित्त की ओर महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर की ओर पृ[illegible]
2. सचिव, विधानसभा सचिवालय, म0प्र0 भोपाल.
राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल.
3. माननीय मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीगण एवं राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/ निज सहायक, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल.
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/ भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र. जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
10. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, पुस्तकालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ.
12. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा-15 की ओर 18 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित ।
13. अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 1-1/1/वे.आ.प्र./99 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त, 2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :- शासकीय सेवकों के लिए क्रमोन्नति योजना ।

संदर्भ :- सा.प्र.वि. (वेआप्र) मंत्रालय, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ 1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 17.3.1999/19.4.1999.

:=:

राज्य शासन ने उपर्युक्त आदेश द्वारा राज्य शासन के प्रत्येक नियमित एवं शासकीय कर्मचारी/अधिकारी को उसके पूरे सेवाकाल में, प्रवेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त कम से कम दो उच्चतर वेतनमानों का लाभ देने का, इस आदेश के पद-2 में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन निर्णय लिया था । साथ ही, इस आदेश के साथ क्रमोन्नति वेतनमानों की सूची भी संलग्न की गई थी । इस प्रकार क्रमोन्नति का लाभ सेवाकाल के 12वें वर्ष एवं 24वें वर्ष के पश्चात् दिया जाना है ।

2- राज्य शासन के ध्यान में यह आया है कि क्रमोन्नति योजना के अन्तर्गत लाभ देने के पश्चात् यदि नियमित पदोन्नति दी जाती है तो शासकीय सेवक को क्रमोन्नति वेतनमान से कम वेतनमान में, वेतन निर्धारित कर, वेतन दिया जा रहा है और कई प्रकरणों में पदोन्नति के पश्चात् शासकीय सेवक के क्रमोन्नति वेतनमान अधिक होने के कारण वेतनमान कम कर दिया जाता है तथा अधिक भुगतान हुई राशि की वसूली भी की जा रही है । इस विसंगतिपूर्ण स्थिति के कारण शासकीय सेवकों में

नि र ं त र ... 2 पर

क्रमांक 1-1/1/वे.आ.प्र./99 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त, 05

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल.
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय, म.प्र. भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र. भोपाल.
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के विशेष सहायक/निज सचिव, म.प्र. भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल.
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म.प्र., भोपाल.
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर / खंडपीठ इन्दौर, ग्वालियर.
13. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर / भोपाल.
14. प्रमुख सचिव / सचिव / अपर सचिव / /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
15. उप सचिव/अपर सचिव, स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल.
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल.
17. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
18. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल.
20. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, म0प्र0

(आर. सी. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

-:-:-